<u>प्रेस नोट दिनांक 08.01.2023</u>
<u>थाना भोजीपुरा जनपद बरेली</u>

<u>थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस द्वारा गौकशी के अपराध में वांछित एवं 25,000 रु0/-के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।</u>

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं गौकशी के अपराध में वांछित व पुरुस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के पर्यवेक्षण में थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा रिठोरा रोड नकटिया पुल के पास से दिनांक 08.01.2023 समय 15.15 बजे अभियुक्त मुबारिक उर्फ आडा पुत्र अली अहमद निवासी रत्ना चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना भोजीपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 642/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट का वाँछित एवं 25000 रुपये का पुरुस्कार घोषित अपराधी है। अभियुक्त मुबारिक उर्फ आडा उपरोक्त से पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने शौक पूरे करने व भौतिक लाभ लेने के लिए गौकशी का काम करते है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>-

मुबारिक उर्फ आडा पुत्र अली अहमद निवासी रत्ना चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 45 वर्ष।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्र0नि0 श्री अजयपाल सिंह
2. उ0नि श्री विकास यादव
3. का0 2866 मनीष कुमार
4. का0 3273 सलेख कुमार
5. का0 3808 राहुल कुमार